न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ जिला डीग
इजलाश श्री **सुनील कुमार झिंगोनिया** आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामाँ

मुकदमा नं0 52/2018

1–सुमेर खां पुत्र परसादी जाति मेव निवासी ग्राम अकाता , जिला डीग (मृतक)

अतरुखो पुत्री सुमेरखां [illegible] अकाता

वादी

बनाम

1–उम्मेद पुत्र ऐवज जाति मेव निवासी लेबडा – मृतक

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कामाँ जिला डीग राजस्थान।

प्रतिवादी

1/1 नसरू
1/2 डीन मोहम्मद] पुत्रान उम्मेद [illegible] निवासी ग्राम लेवडा

उपस्थित अधिवक्ता

1–रूपसिंह वादी

2– श्री बृजलाल प्रतिवादी अधिवक्ता

अन्तर्गत धारा–88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक 20.05.2024

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1956 के तहत पेश किया कि आराजी खसरा नम्बरान 1097मि./0.13, 1097/ मिन /0.14, 1098मिन/0.08, 1098/0.08 ग्राम लेबडा तहसील कामां में स्थित है । आराजी मुतनाजा हिन्दु मुस्लिम आन्दोलन से पूर्व से वादी सुमेर खा पुत्र परसादी का नाम चला आ रहा है । हिन्दु मुस्लिम आन्दोलन मे सभी मेवान बाहर चले गये जब अमन हो गया तो वादी नं0 1 गांव आया और अपनी सम्पत्ति पर काबिज हुआ । किन्तु प्रतिवादी असल आराजी मुतनाजा पर जबरदस्ती काबिज हो गया । और उस सूरत में वादी सुमेरखां ने प्रतिवादी सं0 1 व अन्य के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत 183 आर0टी0एक्ट व उनवानी सुमेरखां बनाम फजरू आदि मुकदमा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग में दायर किया । पूर्व में उक्त खसरा नम्बरान एक नम्बरान 1097/1–13 1098/1.00 बीघा के रकबे थे । उक्त दावा बाद तहकीकात न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण डिक्री दिनांक 24.11.1975 को किया गया जिसमें प्रतिवादी असल को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया गया । वादी नं0 1 की एक मात्र वारिस वादी सं0 2 है और तभी से वादीगण आराजी मुतनाजा को वहैसियत खातेदार काश्तकार आज तक निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है । मौके पर वादीगण का कब्जा है । वादी सुमेरखां पुत्र परसादी का चला आ रहा था वहैसियत खातेदार काश्तकार आज तक निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है । मौके पर वादीगण का ही कब्जा है । प्रतिवादी असल चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने राजस्व कर्मचारियों से साजकर पोशीदा तरीके पर राजस्व रिकोर्ड में डिकरी न्यायालय एस.डी.ओ. साहब डीग में दर्शित खसरा नम्बरान के दो–दो नम्बर कराये और राजस्व रिकार्ड में बावजूद डिक्री न्यायालय एस.डी.ओ.

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

हाब की तलफी में है। इसीलिए वादी संख्या एक उक्त गलत इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड को कलमजन कराकर अपना नाम दर्ज करापाने का अधिकारी है। प्रतिवादी असल का आराजी मुतनाजा वादी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है ना ही उसने कभी काश्त की है ना ही उसका कोई कब्जा है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादी असल ने राजस्व रिकोर्ड के पोशीदा तरीके पर अपने नाम खातेदारी का अंकन करा रखा है। प्रतिवादी असल उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर कब्जे काश्त व खातेदारी में मजाहमत मदाखलत करना चाहता है एवं दीगर शख्सों को रहन बय मुन्तकिल करना चाहता है जिसकी बाबत प्रतिवादी असल ने ऐलानिया धमकी दिनांक 15.07.2001 को गांव में दी है कि वह आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर कब्जा करेगा व काश्त नहीं करने देगा तथा मजाहमत व मदाखलत करेगा दीगर व्यक्ति को रहन बय मुन्तकिल कर देगा यदि वादी ने रोका तो उन्हे जान से खत्म करा देगा अगर प्रतिवादी असल अपनी धमकी में सफल हो गया तो वादीगण की सख्त हक तलफी होगी नुकसान अजीम होगा जिसकी क्षति पूर्ति करे नकद से न हो सकेगी विदी वजह वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी असल स्थाई निषेधाज्ञा जारी करापाने के अधिकारी है। विनाय मुखासमत दिनांक 15.07.2001 को प्रतिवादी असल द्वारा ऐलानिया धमकी देने व नकल जमाबन्दी लेने पर गलत इन्द्राज की जानकारी होने से वमुकाम ग्राम लेवडा तहसील कामां अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी दावा अन्दर मियाद है एवं अदालत हाजा को यह वाद समाहत करने का हक हासिल है। दावा डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिस पर कोर्ट फीस दो रूपया व तलवाना नियमानुसार चस्पा है। दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी असल निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। आराजी खसरा नम्बर 1097 मिन/0.13, 1097/0.14, 1098/0.08, 1098/0.08 वाके ग्राम लेवडा वादीगण के पूर्वजों के जमाने से कब्जे काश्त व खातेदारी की है। जो इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड प्रतिवादी असल के नाम दर्ज हो रहा है वह कतई गलत खिलाफ कानून व खिलाफ मौका व कब्जा है जिसको कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार अंकित किया जावे। जरिये डिक्री स्थाई निषेधागा प्रतिवादी असल को पाबन्द किया जावे कि वह आराजी मुतवाजा कब्जे काश्त व खातेदारी वादीगण मे कोई मजाहमत मदाखलत न करे, काश्त करने में व्यवधान नहीं करे, दीगर व्यक्ति को रहन बय मुन्तकिल नहीं करे, तथा जबरन बेदखल न करे व राजस्व रिकोर्ड व मौके की स्थिति परिवर्तित नहीं करे व ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे हकूक वादीगण जायल हो।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी ने जरिये अभिवक्ता के जबाव पेश किया कि वादी ने यह दावा महज प्रतिवादी को नाजायज रूप से तंग व परेशान करने की गरज से झूठा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है । जो काबिले खारिज है । वादी के खिलाफ एस्टोपल का सिद्धान्त आहरित होता है । आराजी मुतदाविया पूर्व में प्रतिवादी के पिता एवज की थी जिसे वह अपने जीवनकाल तक वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता रहा है और उसके मरने के बाद आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । मौके पर इस वक्त भी मुझ प्रतिवादी का कब्जा है प्रतिवादी द्वारा आराजी मुतदाविया की कीमत नियमानुसार राज्य सरकार में जमा कराने के पश्चात प्रतिवादी को खातेदार दर्ज किया है । आन्दोलन के बाद न तो वादीगण का पिता परसादी ग्राम लेबडा में और न ही उसके आस पास गांवों में तथा न ही तहसील कामां क्षेत्र में आबाद हुआ और न ही इस वक्त है तो उसके द्वारा आराजी मुतदाविया पर कब्जा व काश्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश की अनुपालना के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य वादी द्वारा उक्त वाद में पेश नही की है । जिसके अभाव में दावा वादी मेन्टेबिल नहीं है । वादी का दावा कानून प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है । आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त

उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग) राज०

करता चला आ रहा है । और मौके पर प्रतिवादी का ही कब्जा है । दावा का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

दावा व जबाव दावा के आधार निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई –

1–आया कि वादी आराजी मुत0 पूर्वजों की आराजी है पूर्वजों के जमाने से ही काबिज है । इस आश्य का डिकलेरेशन कराकर प्रतिवादी नं0 1 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन करा पाने का अधिकारी है ।

2– आया वादी प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है ।

3– आया प्रतिवादी ने आराजी की कीमत राज्य सरकार में जमा कराई है ।

4– आया दावा वादी मुताबिक जबाव दावा की मद नं0 14, 15 मैन्टेबिल नहीं है ।

5– दादरसी

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने दावा को साबित करने के लिए निम्न साक्ष्य पेश किये है । नकल जमाबन्दी सं0 1982 नकल आदेश दिनांक 24.11.75,नकल डिक्री दिनांक 24.11.75 प्रतिवादी वकील ने अपने जबाव दावा के साथ निम्न दस्तावेजात पेश किये –

मुख्यतार नामा दिनांक 16.7.03, नकल फैसला रा0म0अजमेर दिनांक 3.7.02, नकल जमाबन्दी 2021 से 2024, नकल जमाबन्दी 2025–2028, नकल जमाबन्दी 2029–2032, 2033–2036, 2042–2045, 2046–2049, 2050–2053, 2017–2020पेश किये है ।

वादी वकील ने श्री सुमेरखां पुत्र परसादी जाति मेव के बयान लिये गये । दावे में लिखित तथ्यों को दोहराया है । अतरवी पुत्री सुम्मेर खां जाति मेव निवासी ग्राम अकाता में बताया कि मेरा पिता ने मुकदमा डाल रखा वह दो नम्बर है । मेरे पिता जिनको जोतते बोते हैं । प्रतिवादी गण मौजा झगडा करता है और कोई नहीं करता है मौजा के साथ एक दो और भी आदमी है। मेरी शादी ग्राम अकाता में हुई थी और मैं झांडा में ब्याही हूं जो हरियाणा में लगता है । मेरी पिताजी के आराजी कभी किसी को काश्त पर नहीं बतायी है । मौजा खेतो में झगडा करता है उसका खेत इन खेतों के पास नहीं है । उम्मेद इन खेतो को जोतने बोने नहीं देता है । मेरे बाप के मरने के बाद इस समय इस जमीन को उम्मेद जो बो रहा है । गुडमल्ली पुत्र घाडमल जाति मेव निवासी अकाता सुमेर खां के बयान का ही समर्थन किया है। रमजू पुत्र हमीदा जाति मेव निवासी अकाता ने भी गुडमल्ली पुत्र घाडमल जाति मेव निवासी अकाता के बयानों का ही समर्थन किया है ।

प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में नसरू पुत्र उम्मेदा जाति मेव निवासी लेबडा ने अपने बयानों में बताया कि जिस जमीन का दावा वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया कि वह जमीन मेरे बाबा ऐवज की थी जिससे वह काबिज रहकर काश्त करता रहा है उसके गुजर जाने के बाद हम प्रतिवादीगण का पिता उम्मेद अपने जीवन काल तक काबिज रहकर काश्त करता रहा है जिसके गुजर जाने के बाद वहैसियत वारिसान उम्मेदा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर इस वक्त भी आराजी मुत पर हम प्रतिवादीगण का शन्तिपूर्ण कब्जा व काश्त है । हम प्रतिवादीगण के बाबा ऐवज एव पिता उम्मेद को और उसके उसके गुजर जाने के बाद हम प्रतिवादीगण को आराजी मुत से बेदखल कर कब्जा नहीं लिया गया हम प्रतिवादीगण ने आराजी मुत पर से कभी कोई कब्जा नहीं छोडा बल्कि हम प्रतिवादीगण रिर्कोर्डड खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं । इसी प्रकार से फजरू पुत्र हिम्मत जाति मेव निवासी ग्राम लेबडा , अयूब पुत्र घीसा जाति मेव निवासी ग्राम लेबडा ने शपथ पेश कर बयान दिये हैं ।

हमने पक्षकार अधिवक्ताओं की तनकी बार बहस सुनी जो इस प्रकार से है :–

उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग) राज0

1—आया कि वादी आराजी मुत0 पूर्वजों की आराजी है पूर्वजों के जमाने से ही काबिज है । इस आश्य का डिकलेरेशन कराकर प्रतिवादी नं0 1 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन करा पाने का अधिकारी है ।

वादी अधिवक्ता ने तनकी की बहस में बताया कि आराजी मुतनाजा हिन्दु मुस्लिम आन्दोलन के पूर्व से वादी सुमेरखां पुत्र परसादी का चला आ रहा था । जमाबन्दी सं0 1982 में वादी के पिता परसादी के नाम चला आ रहा था । मैनेजिंग औफिसर कम सहायक कस्टोडियन अलबर के पत्रांक/ 6608 दिनांक 2.11.68 के द्वारा पट्टा जारी किया गया । जबकि जमाबन्दी सं0 2021.2024 में उम्मेद पुत्र एवज खातेदार दर्ज है । इस प्रकार पट्टा वर्ष 1968 में जारी हुआ तो प्रतिवादी उम्मेद वर्ष 1964 में खातेदार कैसे दर्ज हो गया । यदि आराजी आवंटन हुई तो सीधे ही खातेदार दर्ज कैसे हो गयी ? आवंटन होने के बाद गैरखातेदार दर्ज किया जाता है । हिन्दु मुस्लिम आन्दोलन में सभी मेवान बाहर चले गये थे जब अमन हो गया तो वादी सं0 1 गांव में आया और अपनी सम्पत्ति पर काबिज हुआ किन्तु प्रतिवादी असल आराजी मुतनाजा पर जबरदस्ती काबिज हो गया और उस सूरत में वादी सुमेरखां ने प्रतिवादी सं01 व अन्य के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट व उनवानी सुमेरखां बनाम फजरू आदि मुकदमा माल दीवानी नं0 170ए/13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के यहां दायर किया । पूर्व में उक्त खसरा नम्बरान एक नम्बर 1097/1.13, 1098 /1.00 बीघा के रकवे थे । उक्त दावा बाद तहकीकात न्यायालय एस0डी0ओर साहब डीग द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकरी दिनांक 24.11.75 को किया गया जिसमें प्रतिवादी असल को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया गया । वादी नं01 की एक मात्र वारिस वादी सं0 2 है। और तभी से वादीगण आराजी मुतनाजा को वहैसियत खातेदार काश्तकार आज तक निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है । मौके पर वादीगण का ही कब्जा है ।

प्रतिवादी वकील ने बहस में बताया कि आराजी मुतदाविया पूर्व में प्रतिवादी के पिता एवज की थी जिसे वह अपने जीवनकाल तक वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता रहा है और उसके मरने के बाद आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । मौके पर इस वक्त भी मुझ प्रतिवादीका कब्जा है प्रतिवादी द्वारा आराजी मुतदाविया की कीमत नियमानुसार राज्य सरकार में जमा कराने के पश्चात प्रतिवादी को खातेदार दर्ज किया है । आन्दोलन के बाद न तो वादीगण का पिता पर सादी ग्राम लेबडा में और न ही उसके आस पास गांवों में तथा न ही तहसील कामां क्षेत्र में आबाद हुआ और न ही इस वक्त है तो उसके द्वारा आराजी मुतदाविया पर कब्जा व काश्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश की अनुपालना के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य वादी द्वारा उक्त वाद में पेश नही की है । जिसके अभाव में दावा वादी मेन्टेबिल नहीं है । वादी का दावा कानून प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है । आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । और मौके पर प्रतिवादी का ही कब्जा है ।

हमने पक्षकार अधिवक्ता की बहस सुनी तथा दस्तावेज का अवलोकन किया वादी वकील ने बहस में बताया कि जमाबन्दी संम्वत 1982 का अवलोकन किया कि वादी के पिता परसादी के नाम चला आ रहा था । मैनेजिंग औफिसर कम सहायक कस्टोडियन अलबर के पत्रांक/ 6608 दिनांक 2.11.68 के द्वारा पट्टा जारी किया गया । जबकि जमाबन्दी सं0 2021–2024 (वर्ष 1964) में उम्मेद पुत्र एवज खातेदार दर्ज है । इस प्रकार पट्टा वर्ष 1968 में जारी हुआ तो प्रतिवादी उम्मेद वर्ष 1964 में खातेदार कैसे दर्ज हो गया । यदि आराजी आवंटन हुई तो सीधे ही खातेदार दर्ज कैसे हो गयी ? आवंटन होने के बाद गैरखातेदार दर्ज किया जाता है । दिनांक 24.11.1975 को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डीग के निर्णय में सुमेर

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राजस्थान

छगा पुत्र परसादी जाति मेव निवासी ग्राम अकाता के नाम दावा डिक्री किया गया तथा प्रतिवादी गण से उक्त आराजी का कब्जा दिलाने बावत आदेश पारित किया गया है । प्रतिवादी वकील ने इस बावत कोई जबाव पेश नहीं किया । इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में सावित होती है ।

2–आया वादी प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है ।

तनकी नम्बर 1 बादी के पक्ष में साबित होने पर प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है । यह तनकी भी वादी के पक्ष में साबित होती है । चूंकि तनकी नं0 1व 2 वादी के पक्ष में साबित है । अतः तनकी नं0 3 एवं 4 स्वतःही वादी के पक्ष व प्रतिवादी के विरूद्ध साबित है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर तनकी नं0 1 व 2, बादी के पक्ष में साबित होती है । तथा तनकी नं0 3 को प्रतिवादी साबित करने में सफल नहीं हो सका । अतः दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट के तहत को वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः प्रतिवादी का नाम हो राजस्व रिकार्ड में अमल को कलमजन किया जाकर वादी का नाम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट के तहत को वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाता है । तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम को कलमजन किया जाकर वादी का नाम डिक्री किया जाता । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.5.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामाँ
(डीग)